

समाहरणालय, बक्सर

(नजारत शाखा)

समाहरणालय, बक्सर की बाह्य स्रोत के माध्यम से साफ-सफाई हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17 दिनांक 28.11.2008 के आलोक में बक्सर समाहरणालय के आधुनिकीकरण के तहत मुख्य भवन / सभी कार्यालय कक्ष / बक्सर समाहरणालय परिसर की साफ सफाई (झाड़ू, पोछा), पार्क का रख-रखाव, विद्युत रख-रखाव हेतु इच्छुक व्यक्ति / स्वयंसेवी संस्था / फर्म से मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग - अलग लिफाफे में जिला नजारत शाखा, बक्सर में हाथों - हाथ दिनांक 16.07.21 को 01.00 बजे अप0 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन दिनांक 16.07.21 को ही 03.00 बजे अप0 में जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निबंधित डाक से निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदा तिथि 16.07.21 के पूर्व दिनांक 14.07.21 को 03.00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में एक Pre Bid Meeting आहूत की जाती है। जिसमें इच्छुक निविदादाता / व्यक्ति / फर्म / एजेन्सी भाग ले सकते हैं।

निम्नलिखित शर्तों एवं कार्य विवरणी के तहत मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. समाहरणालय भवन एवं परिसर में अवस्थित अन्य सभी भवनों के कमरों में झाड़ू लगाकर पोछा (फिनाइल से) सुबह 9.00 बजे से पहले तक करना होगा।
2. समाहरणालय भवन एवं परिसर के अन्य भवनों में स्थित शौचालय की साफ - सफाई दिन में तीन बार फिनाइल के साथ करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी सफाई कर्मी कार्यालय अवधि में बने रहेंगे तथा लगातार फर्श की सफाई करते रहेंगे। सफाई कर्मी नियमित रूप से वाइपर का भी इस्तेमाल करेंगे।
3. समाहरणालय परिसर अवस्थित सभी सड़कों पर झाड़ू लगाने एवं कूड़ा हटाने का कार्य सुबह नौ बजे से पहले तक सम्पन्न कर लेना होगा। समाहरणालय पार्क में लगे घास तथा पौधों की कटाई - छाटाई के अतिरिक्त पार्क का रख-रखाव करना अनिवार्य होगा।
4. समाहरणालय परिसर के अन्तर्गत मुख्य नाला के अतिरिक्त सभी नालों की नियमित सफाई करना होगा।
5. समाहरणालय भवन के बरामदा (नीचे एवं उपर) एवं मुख्य द्वार के अतिरिक्त सभी शौचालयों का दिन में 03 बार झाड़ू - पोछा / साफ-सफाई करना होगा। सप्ताह में एक बार सभी दरवाजा तथा खिडकी को भी साफ करना अनिवार्य होगा।
6. सभी शौचालयों में सफाई के अतिरिक्त नेपथलिन की गोली, हैण्डवास एवं ओडोनील की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार) नियमित रूप से करनी होगी। साथ ही कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु नियमित रूप से सभी कार्यालय एवं परिसर को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
7. समाहरणालय परिसर / भवन को संक्रमण मुक्त रखना होगा।
8. साफ - सफाई प्रबंधन एवं विद्युत रख-रखाव हेतु निम्नलिखित संख्या में श्रमिक / विद्युत मिस्त्री -/ प्रबंधक रखना होगा :-

01- सफाई श्रमिक - 07

02- माली - 01

03- विद्युत मिस्त्री - 01

04- प्रबंधक - 01

सभी सफाई कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। युनिफार्म में नहीं पाये जाने पर मासिक विपन्न से समुचित कटौती कर ली जाएगी। सफल निविदाता के द्वारा समाहरणालय स्थित पार्क का रख - रखाव एवं विद्युत संचालन व्यवस्था का रख - रखाव करना होगा।

9. तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 01. निविदादाता द्वारा अद्यतन के रूप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से निर्गत 20000.00 (बीस हजार रु० मात्र) का बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 02. लगातार तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न (2018-19, 2019-20, 2020-21) की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
 03. पैन कार्ड की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित।
 04. अद्यतन GST रिटर्न (GSTR3B अप्रैल, 21 तक) की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 05. कम से कम 1000000.00 (दस लाख रु० मात्र) का वार्षिक टर्न ओवर चार्टर्ड एकाउन्टे से निर्गत स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 06. संस्था / फर्म का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21) की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
 07. सरकारी / निबंधित गैर सरकारी संस्था में कार्य अनुभव की अनिवार्यता नहीं होगी। परन्तु कार्य अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
 08. संस्था / फर्म का काली सूची में नाम नहीं होने एवं थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र मूल में संलग्न करना होगा।
 09. निविदादाता द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र

क्र०	फर्म / एजेन्सी का नाम	संलग्न कागजात									
		20000.00 का बैंक ड्राफ्ट	अद्यतन आयकर रिटर्न तीन वर्षों का (2018-19, 2019-20, 2020-21)	पैन कार्ड की छायाप्रति	अद्यतन GST रिटर्न (अप्रैल, 21) GSTR-3B	GST निबंधन प्रमाण पत्र	C.A द्वारा निर्गत 1000000.00 रु० का वार्षिक टर्न ओवर	संस्था / फर्म का अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित प्रति (वित्तीय वर्ष 2020-21)	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	काली सूची तथा प्राथमिकी दर्ज नहीं होने का नोटरी शपथ पत्र	पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

10. वाहन पार्किंग का रख-रखाव एवं उसके स्वच्छता तथा सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

11. वित्तीय निविदा में निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

01- उपर्युक्त प्रबंधन के सफल संचालन हेतु निविदा में उल्लेखित सभी शर्तों को पूरा करने के निमित्त वित्तीय निविदा में सभी कर सहित सामग्री एवं मजदूरी का पूर्ण विवरण देते हुए न्यूनतम दर अंकित करना होगा, जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दर (01.04.21 के प्रभाव से) से कम नहीं होगा। वित्तीय निविदा में मजदूरों का मजदूरी, सामग्री पर होने वाला व्यय अलग - अलग टेबल में अंकित कर कुल योग मासिक दर के रूप में अंकित होगा। उक्त वित्तीय निविदा कम्प्यूटरीकृत टंकित प्रति के रूप में मूल में संस्था / फर्म के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता को सरकार के द्वारा समय - समय पर श्रमिकों के मजदूरी हेतु निर्धारित न्यूनतम दर के अनुरूप भुगतान करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा विहित प्रपत्र

क्र०	एजेन्सी का नाम	श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना सं०- 243 दिनांक 31.03.21 के आलोक में न्यूनतम मजदूरी (जी०एस०टी० की गणना के साथ) का अंकित दर	अन्य व्यय	एक मुश्त मासिक दर (सभी कर सहित)
01		सफाई कर्मी 07 - माली 01 - विद्युत मिरर्री 01 - प्रबंधक 01 - जी०एस०टी० - कुल राशि -		

12. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा कि कार्य में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी एवं आवश्यकतानुसार एकरारनामा रद्द किया जा सकेगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् पूर्व की निविदा को स्वतः रद्द समझा जाएगा। सफल निविदादाता के मासिक विपत्र से नियमानुसार GST एवं IT की कटौती की जाएगी।
13. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. निविदादाता को साफ-सफाई, रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय का एक मुश्त मासिक दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।
15. निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों / प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।
16. समाहरणालय परिसर में स्थित अन्य भवन यथा - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांख्यिकी भवन, सूचना भवन (जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर को छोड़कर), निर्वाचन भवन, परिवहन, योजना भवन एवं कोषागार भवन (जिला आपदा प्रबंधन शाखा, बक्सर को छोड़कर) की साफ - सफाई पर होने वाले व्यय निर्धारित दर के अनुपातिक क्षेत्रफल के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।


 अमन समीर, भा० प्र० से०
 जिला पदाधिकारी,
 बक्सर